19/7/24	अधिवक्ता प्रथम वादी उप० अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 12/7/24 को आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया, सो.मि. है। अधिवक्ता प्रथम वादी ने प्र.पत्र दिनांक 12/7/2024 का उल्लेख विवरण किया और वादी एवं प्रतिवादी के प्रथम पारिवारिक समझौता से प्रतीमान है जाने के बाद आगे नहीं चलना चाहते इस प्रकार प्रार्थना पत्र उल्लेख होने बाद जीरये विडियो कान्फ्रेंस किये जाने की इजाजत की है। अतः इस इजाजत अधिवक्ता वादी का एक बार आ जाने बाद उन का अधिकार सुरक्षित रखते हुये जरिये विडियो वादी का एक बार बयान लिया जाता है। [illegible] उसूल मुताबिक [illegible] है। [illegible] Ac Sgjt